

प्रेस नोट
जनपद रामपुर
दिनांक 10.10.2021

twitter-@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस
@rampurpolice

Telegram-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अंकित मित्तल द्वारा जनपद में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना स्वार:-धोखाधडी, गाली-गलौच, मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देते हुये जाति-सूचक शब्दों का प्रयोग करने में वांछित चल रहा अभियुक्त गिरफ्तार-
अतीक अहमद पुत्र शरीफ अहमद निवासी मसवासी थाना स्वार, रामपुर आदि 03
अभियुक्तगण द्वारा धोखाधडी से वादी श्री अरविन्द पुत्र श्री पूरन निवासी भूवरी थाना स्वार, रामपुर के पुत्र आकाश को अपनी दुकान पर काम के लिये लगाकर धोखे से चैकबुक पर हस्ताक्षर करवाकर, उसके नाम पर मोटर साईकिल फाइनेन्स पर निकलवाकर, किशत न देने, किशत देने के लिये कहने पर वादी के साथ गाली-गलौच कर मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देते हुये जाति-सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने के सम्बन्ध में दिनांक 13-08-2021 को थाना स्वार पर मु0 अ 0 सं0-393/21 धारा 420,323,504,506 भादवि व 3(2)(5)ए,3(1)(द),3(1)(ध) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 10-10-2021 को थाना स्वार, रामपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित चल रहा अभियुक्त अतीक अहमद उपरोक्त को मानपुर तिराहा से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना स्वार:-200 ग्राम चरस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 10-10-2021 को थाना स्वार, रामपुर पुलिस द्वारा शरीफ अहमद पुत्र नन्हे निवासी मौहल्ला रसूलपुर कस्बा व थाना स्वार जनपद रामपुर को पुरानी स्टेट बैंक के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 200 ग्राम चरस नाजायज बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना स्वार पर मु0 अ 0 सं0-497/21 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना सैफनी:- बिना प्रशासन की अनुमति के धार्मिक भवन बना लेने वाला अभियुक्त गिरफ्तार-

अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल वहीद निवासी मौ0 खेडा कस्बा व थाना सैफनी, रामपुर द्वारा आवसीय भवन पर बिना प्रशासन की अनुमति के धार्मिक भवन बना लेने के सम्बन्ध में दिनांक 09-10-2021 को थाना सैफनी पर मु0 अ 0 सं0-50/2021 धारा 153 ए,188 भादवि पंजीकृत हुआ था। इसी क्रम में थाना सैफनी, रामपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त अब्दुल हमीद उपरोक्त को मौ0 खेडा कस्बा सैफनी से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना केमरी:- 02 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 10-10-2021 को थाना केमरी, रामपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण का नाम व पता-

01- निसार पुत्र अजीज शाह निवासी उदयपुर पट्टी थाना केमरी, रामपुर।

02- प्रमोद पुत्र गोविन्दराम निवासी मौहम्मदनगर नानकार थाना केमरी, रामपुर।

थाना भोट:- वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 10-10-2021 को थाना भोट, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त शाकुल नवी पुत्र अहमद नवी निवासी ग्राम मुंडिया थाना भोट, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना मिलक:- वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 10-10-2021 को थाना मिलक, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त दीपचन्द पुत्र आशेराम निवासी चिचौली थाना मिलक, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।